वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 28.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, जनसन्देश टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 28.07.2024

विरोध के बीच होटल बनारस कोठी व रिवर पैलेस पर चला हथौड़ा

वीडीए ने दोनों होटलों के दरवाजे सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा, संचालक के परिजन करते रहे विरोध

होटल में कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी से जानकारी लेते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग। साथ में वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा व डीसीपी चंद्रकांत मीणा • जागरण

शनिवार को होटल बनारस कोठी के कमरे का बाथरूम तोड़ते मजदूर • जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भारी विरोध के बीच वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शनिवार को होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर पांच घंटे तोड़ने की कार्रवाई की। एक-एक कमरे का दरवाजा, खिड़की और बाथरूम तोड़ने के साथ अंदर के डिजाइन को हथौड़े से तोड़ दिया गया। 30 से अधिक मजदूर पांच घंटे तक हथौड़े और हैमर मशीन से तोड़ते रहे। अंत में बुलडोजर से बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त करने के साथ वीडीए ने दोनों होटल को सील कर दिया। साथ ही पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। होटल तोड़ने के दौरान संचालक के परिजन लगातार विरोध करते रहे लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। एहतियातन एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां मौजूद थीं। पिछले पांच सालों में विकास प्राधिकरण की यह बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान वीडीए के 120 कर्मी, 150 से अधिक

- पांच साल में वीडीए ने की बड़ी कार्रवाई, लगाए गए थे 30 मजदूर
- पांच घंटे में कमरे का दरवाजा खिड़की और बाथरूम तोड़ा

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्र से वार्ता करते होटल संचालक समेत अन्य लोग।

पुलिस कर्मी, जिला प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे।

वीडीए टीम दोपहर तीन बजे होटल तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंची तो परिजन गेट अंदर से बंद कर लिए। वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने परिजनों को समझाने के साथ गेट खोलने को

> दोनों होटल क्षतिग्रस्त करने के साथ अंदर जाने वाले सभी दरवाजे सील कर दिए हैं। साथ ही पुलिस अभिरक्षा में होटल सौंप दिया गया है। जोनल अधिकारी, अवर अभियंता को निगरानी करने को कहा गया है।
>
> –पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

कहा लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। आधे घंटे तक कहासुनी के बाद पुलिस जबर्दस्ती अंदर प्रवेश कर गई। महिला पुलिस के सहयोग से महिलाओं को बाहर निकाल दिया। इस दौरान पुरुष के साथ महिलाएं विरोध करती रहीं और पुलिस उन्हें रोकती रही। दोनों होटल में मिलाकर 92 कमरे थे। सामने स्थित बुद्ध विहार कालोनी में मोहम्मद जाफर अली खां ने भूखंड संख्या 20 पर 142.88 वर्ग मीटर में दो मार्च-2012 आवासीय नक्शा तीन मंजिल का पास करा रखा था लेकिन पास के भूखंड संख्या 18 व 19 को जोड़कर छह मंजिल अवैध होटल बनारस कोठी बना रखा था। अवैध निर्माण पर भवन स्वामी को छह फरवरी-2015 नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था। निर्माण जारी रहने पर वीडीए ने 13 फरवरी-2015 को सील कर दिया। भवन स्वामी ने सेटबैक कवर करते हुए वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट (डूब क्षेत्र में) निर्माण किया था, ऐसे में वीडीए ने दो फरवरी 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। इसी प्रकार रिवर पैलेस में मानचित्र के विपरीत निर्माण था। अवैध निर्माण पर वीडीए ने आठ साल पहले नोटिस जारी करने के साथ सील कर दिया था।

गाली सुन एडीएम सिटी आग-बबूला, सिर से मारी टक्कर

विरोध करने के दौरान होटल संचालक अचानक बेहोश हो गया। पुलिस कर्मी उसे अस्पताल भेजने के लिए एंबुलेंस में जैसे ही ले गए वह कूदकर भाग निकला। इसके अलावा खुर्शीद जाफर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गालियां देता रहा। एडीएम सिटी आलोक वर्मा को देख गाली देने लगा, यह सुन एडीएम सिटी आग-बबूला हो गए और अपने सिर से उसके चेहरे पर मार दिया। एडीएम ने साफ कहा, विरोध करो, गाली क्यों दी। गाली सुनने कोई नहीं आया है। हालांकि इंटरनेट मीडिया पर इस घटना के प्रसारित वीडियो में उन्हें लोगों की आलोचना सुननी पड़ी।

पुलिस ने बरामद किया 12 गैलन डीजल

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 12 गैलन डीजल देख हैरान हो गई। एक गैलन में 20 लीटर डीजल था। पुलिस का कहना है कि संचालक आगजनी करने के लिए डीजल रखा था, उसे हटा दिया गया। यह जरूर रहा कि डीजल ले जाने के दौरान होटल संचालक डीजल चोरी करने का आरोप लगाने लगा। इस दौरान एहतियातन पुलिस ने व्यावसायिक सिलेंडर को बाहर रख दिया।

बुलडोजर से तोड़ा होटल बोर्ड

सील करने के बाद वीडीए टीम लौट रही थी। इस दौरान एक प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर रोककर बनारस कोठी का लगा बोर्ड तोड़वा दिया।

ड्रोन से होती रही निगरानी

वीडीए कार्रवाई के दौरान एक-एक सीन का वीडियोग्राफी कराने के साथ फोटो करा रही थी। पूरी कार्रवाई की निगरानी ड्रोन कैमरे से हो रही थी।

ये अधिकारी रहे मौजूद

एडीएम सिटी आलोक वर्मा, वरुणा जोन के डीसीपी चंद्रकांत मीणा, एडीसीपी सरवणन टी, एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी, कैंट इंस्पेक्टर राजू सिंह थे।

एक नजर में बनारस कोठी

- ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त कोर्ट में अपील, 26 फरवरी-2016 को निरस्त
- मंडलायुक्त फैसले के खिलाफ शासन में की अपील, 11 दिसंबर-2018 को निरस्त
- शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में की अपील, 29 मार्च-2019 को अपील खारिज
- संचालक ने होटल में ठहरे पर्यटकों को उठवा कर आगजनी कराने में वर्ष 2018 में केस
- होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस का 19 जुलाई को काटा गया बिजली कनेक्शन
- होटल संचालक के खिलाफ 21 जुलाई को कैंट थाने में दर्ज कराया मुकदमा।

होटल रिवर पैलेस

- मोहम्मद जाफर अली खां ने भूखंड संख्या 21 पर 209 वर्ग मीटर में तीन मई-1999 में तीन मंजिल का पास कराया था आवासीय नक्शा
- भूखंड संख्या 21, 21-1, 22, 23 और 24 को एक कर बनाया होटल रिवर पैलेस
- 10 दिसंबर-1999 वीडीए ने जारी किया था नोटिस, 18 मार्च-2005 को किया सील
- सेट बैक कवर करने, वरुणा नदी में छह मंजिल निर्माण करने पर सात दिसंबर-2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश
- मंडलायुक्त कोर्ट से शमन मानचित्र दाखिल करने पर 20 फरवरी-2019 को अस्वीकृत
- मंडलायुक्त फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में की अपील, 29 मार्च-2019 को खारिज।

शनिवार को होटल बनारस कोठी पर कार्रवाई के दौरान बाहर मौजूद फोर्स • जागरण

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 28.07.2024

चार बुलडोजर, 150 मजदूर, 7 घंटे चला ध्वस्तीकरण अभियान

बनारस कोठी और रिवर पैलेस के अवैध निर्माण आज भी तोड़े जाएंगे

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल गिराने के लिए शनिवार को वीडीए के अफसर जब बुद्ध विहार कॉलोनी पहुंचे तब वहां होटल मालिक और उनका परिवार था। पुलिस ने होटल खाली कराया और सभी को तोड़फोड़ वाले क्षेत्र से दूर किया। इसके बाद पहले हथौड़े से और बाद में बुलडोजर से ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया।

दोनों होटल पांच तल के हैं। इनमें कुल 90 कमरे हैं। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कुल 4 बुलडोजर और 150 मजदूर लगाए गए। दोपहर 2 से रात 9 बजे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। रविवार को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। होटल के कमरों में महंगे फर्नीचर, टीवी और मेज कुर्सियों के बीच हथौड़े चलाए गए। इस बीच होटल संचालक के परिवार की करीब 15 महिलाओं और अधिकारियों में कहासुनी हुई। बातचीत के दौरान होटल के मालिक मोहम्मद फारूक खां बेहोश गए।

होटल स्टाफ और परिवार वालों ने उन्हें संभाला। होटल मालिक के परिजन रोते हुए अफसरों से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाते रहे। होटल के अंदर कमरे, बाथरूम, शौचालय, सीढ़ी आदि को ध्वस्त किया गया है। कुछ पिलर को भी चोट पहुंचाई गई है। वीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार 2015 में दोनों होटल सील किए थे। इसके बाद भी होटल का संचालन करने पर एफआईआर कराई गई। इस बीच दूसरे होटलों के नाम पर बुकिंग कर इन दोनों होटलों में पर्यटकों को ठहराया जाता है।

होटल के मालिक मोहम्मद फारूक खां ने कहा कि एक होटल का नक्शा 1999 और दूसरे होटल का 2012 में पास है। होटल चलाने का लाइसेंस भी है। 2014 में इस क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया। उस समय के जोनल अधिकारी की कॉपी मेरे पास है। व्यावसायिक नक्शा पास करने का आवेदन किया था।

बनारस कोठी को बुलडोजर से ध्वस्त कराती वीडीए की टीम। अमर उजाला

होटल के अंदर सर्च करती वीडीए और पुलिस की टीम। अमर उजाला

पैसा न देने पर कार्रवाई का आरोप

होटल संचालक के परिवार के सदस्य खुर्शीद आलम ने आरोप लगाया कि पैसा न देने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हम मुसलमान हैं, बुद्ध विहार कॉलोनी में भाजपा के नेताओं के होटल हैं। स्कूल की जमीन पर गेस्ट हाउस बनाया गया है। 756 लोगों को इस क्षेत्र का नोटिस दिया गया है। इनमें से किसी का नहीं तोड़ा गया। हाईकोर्ट का पीटिशन लगा हुआ है। नोटिस चस्पा करके चले गए। इस कॉलोनी में जी प्लस टू का नक्शा पास है। यहां 27 होटलों में सभी नक्शा जी प्लस टू का पास है। वीडीए वीसी, सचिव, जोनल और जेई मिले हुए हैं। यहां 5 लाख रुपये एक स्लैब और 50 हजार रुपये हर हफ्ता का रेट है। मुझे एडीएम सिटी ने सिर से मारा है। मेरे पास इसका वीडियो है। कमिश्नर से कहा तो उन्होंने कहा कि शासनादेश आया है।

अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो किया पोस्ट

वीडीए की कार्रवाई के दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार के सिर मारने के तीन सेकंड का वीडियो एक्स पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अधिकारियों ने पूरी के प्रतिभाशाली क्योंकि में शुरू किया अपने तरह का अनोखा फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम।

ये है मामला

वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार मोहम्मद फारूक खां ने बुद्ध विहार कॉलोनी में दो होटल का निर्माण कराया। स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण करने, सेट बैक कवर करने, वरुणा किनारे महायोजना-2031 में स्थित ग्रीन बेल्ट में निर्माण करने, बहुमंजिला निर्माण बेसमेंट, ग्राउंड और 5 तल का अशमनीय निर्माण होने के कारण ध्वस्तीकरण आदेश पारित है। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद होटलों को ध्वस्त कराया जा रहा है। दोनों होटल की जमीन के मामले में शासन ने अन्नपूर्णा भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के आठ भूखंड का भू उपयोग आवासीय से व्यावसायिक करने के संबंध में प्रत्यावेदन 2019 में निरस्त किया जा चुका है। बनारस कोठी होटल 142.88 वर्ग मीटर पर आवासीय जी प्लस टू का नक्शा 2012 में पास कराया था। निर्माण कराने पर 2015 में होटल सील किया गया था। निर्माणकर्ता दो और प्लॉट को मिलाकर मानचित्र से अधिक सेटबैक कवर कर लिया। 2016 में इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था।

शहर में 2105 अवैध होटल

रिकॉर्ड के अनुसार सन 2000 में बनारस में 545 होटल, लॉज, धर्मशाला थे। वर्तमान में 1145 होटलों, लॉज और धर्मशालाओं का लाइसेंस है। जबकि शहर में 3250 होटल, धर्मशाला और लॉज हैं। अब भी शहर में 2105 अवैध होटलों का संचालन हो रहा है। पिछले दिनों पर्यटन विभाग में करीब 700 लोगों के आवेदन लाइसेंस के लिए पेंडिंग हैं। नगर निगम के सर्वे में भी 1200 से अधिक होटल आ चुके हैं। जिन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होनी बाकी है।

बनारस कोठी के मालिक को सिर से टक्कर मारते एडीएम सिटी। अमर उजाला

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 28.07.2024

हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच जमींदोज होने लगे दो होटल

होटल संचालक और उसके बेटों ने किया विरोध, एक बेटे के मुंह से निकला खून, संचालक बेहोश, वीडीए उपाध्यक्ष और एडीएम सिटी मौके पर

क्यों हुई कार्रवाई

'देखते हैं कैसे तोड़ेंगे होटल, हमारा टूटा तो...'

लाइव

बनारस कोठी

रिवर पैलेस

90

15

पहली बार इतनी तगड़ी कार्रवाई हुई

ध्वस्तीकरण आदेश 2016 में हुआ था

होटल रिवर पैलेस : मानचित्र के विपरीत निर्माण

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स –दिंनाक–28.07.2024

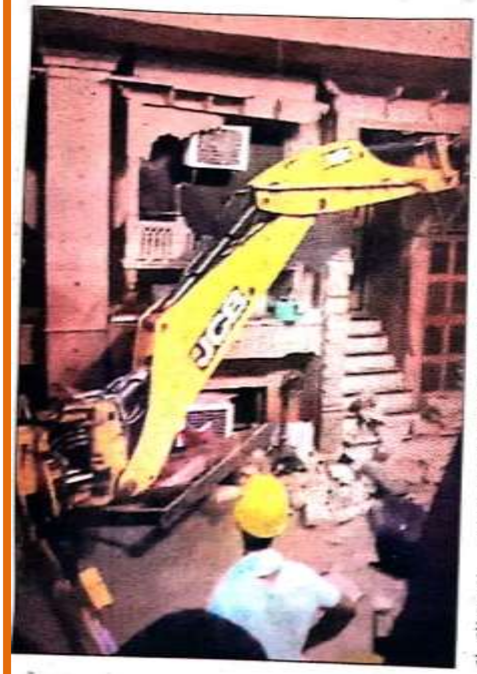

नक्शा के विपरीत अवैध निर्माण करना पड़ा महंगा

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। दो होटलों पर शनिवार को बुलडोजर गरजा। अवैध निर्माण जहां उसके स्वामी को महंगा पड़ा ,वहीं बुकिंग पर रोक के बाद भी होटलों को जबरन संचालित किये जाने पर वीडीए ने कड़ा कदम उठाया और ध्वस्तीकरण की सख्त कारवाई की। इसको लेकर वीडीए की टीम शनिवार को अचानक सिकरौल वार्ड में पहुंचा।

जहां बुद्ध विहार कालोनी स्थित मो० जाफर अली खाँ पुत्र स्व० मो० नूर खाँ और होटल रिवर पैलेस होटल को देखा जहां रोक के बाद भी उसका संचालन किया जा रहा है। विभाग ने

ढहाया गया

वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट में बढ़कर था निर्माण

बुकिंग पर रोक के बाद संचालन पर वीडीए सख्त

दो होटलों पर गरजा बुलडोजर, अफरा-तफरी

मानचित्र के विपरित होटल बनारस कोठी के वरुणा नदी के किनारे स्थित ग्रीन बेल्ट में बढ़कर बी+जी+5 तल का होटल/ व्यावसायिक अवैध निर्माण किये जाने पर वीडीए ने पूर्व में ही जहां रोक लगा दिया था,वही उसे नोटिस दिया था और एफआइआर भी दर्ज कराकर उसे संचालित नही करने को कहा था।

इसके बावजूद टीम ने पाया कि होटल का संचालन अवैध ढंग से किया जा रहा है। उसको लेकर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के नेतृत्व में पहुंचे भारी फोर्स की मौजूदगी और टीम की उपस्थिति में बुलडोजर ने उक्त अवैध निर्माण को ढहा दिया और निर्माणकर्ता के विरूद्ध सख्त कारवाई भी की।

इस दौरान पूरे क्षेत्रों में घंटो अफरा-तफरी का महौल रहा और लोगो की भारी भड़ लगी रही।

राष्ट्रीय सहारा–28.07.2024

बनारस कोठी व रिवर पैलेस होटल पर चला बुलडोजर

वीडीए अफसरों से हुई नोकझोंक, होटल मालिक हुआ बेहोश, परिजनों ने अफसरों से कार्रवाई रोकने की लगाई गुहार

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सारनाथ क्षेत्र स्थित बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर बुलडोजर चलाया। वीडीए के अफसरों ने होटल सील किया था। शनिवार सुबह पुलिस ने होटल खाली कराकर तोड़-फोड़ शुरू किया। 90 कमरों की पांच मंजिला इस होटल को तोड़ने के लिए पांच बुलडोजर लगाए गए थे। जब होटल मालिक खुर्शीद आलम ने विरोध शुरू किया तब एडीएम सिटी आलोक कुमार ने उन्हें सिर मार दिया। इससे उनके मुंह से खून निकलने लगा। फिर क्या देखते ही देखते चौके पर भीड़ एकत्रित हो गयी। हालांकि भीड़ के जुटने के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रोकी गई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के मुताबिक होटल वरुणा नदी के ग्रीनबेल्ट एरिया में बनाया गया है। आठ साल पहले भी होटल को सील किया गया था। इसके बावजूद होटल ने कंस्ट्रक्शन जारी रखा। यात्रियों की बुकिंग भी लेता रहा। इसलिए अब होटल गिराने की कार्रवाई हो रही है। ये होटल बुद्ध विहार कालोनी में बनाये गये है।

वीडीए की टीम बनारस कोठी होटल पहुंची यह होटल पांच मंजिला का है। होटल मालिक मोहम्मद जफर खान की वीडीए अफसरों से नोकझोंक हो गई। कहना चल ही रही थी कि वह बेसुध हो गये। होटल स्टाफ ने उन्हें किसी तरह संभाला। एक तरफ होटल के अंदर वीडीए की टीम डटी हुई थी तो दूसरी तरफ बाहर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। अत्यधिक फोर्स को देखकर किसी ने भी हिमाकत करने का प्रयास नहीं किया।

होटल पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए होटल मालिक के परिजन भी सड़क पर उतर आये। उन्होंने अफसरों से होटल पर हो रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए गुहार लगायी। हालांकि अफसरों ने उनकी एक नहीं सुनी और कार्रवाई चलती रही।

अफसर का कहना था कि होटल खाली कराने का नोटिस दिया गया था। होटल मालिक ने मनमानी की जिसकी वजह से बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ी। एसीपी अतुल अंजान शनिवार को पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ बनारस कोठी पहुंचे। होटल को खाली कराया गया। वीडीए टीम ने होटल संचालक को खाली कराने का नोटिस दिया था। प्राधिकरण अवर अभियंता अतुल कुमार मिश्र ने होटल के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

वीडीए वरुणा क्षेत्र में संचालित बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल के बिजली कनेक्शन पहले ही कटवा चुकी है। जलकल जीएम को लेटर लिखकर पानी का कनेक्शन काटने को कहा था। आज होटल को गिराने की कार्रवाई की जा रही है।

आठ साल पहले होटल को किया था सील : वीडीए ने आठ साल पहले 2015 में दोनों होटलों को मानक के विपरीत बताकर सील किया था। आरोप था कि होटल को बनाते वक्त वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर दायरे में कंस्ट्रक्शन न करने के आदेश दिया गया था। इसके बावजूद भी होटल बनकर तैयार हो गया।

नदी के 50 मीटर दायरे में कंस्ट्रक्शन की है मनाही : वीडीए अधिकारियों का कहना है कि नदी के 50 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन की मनाही है। इसके बाद भी होटल बनकर तैयार हो गया जबकि इसे पहले सील भी किया गया था।

होटल मालिक का आरोप

होटल मालिक खुर्शीद आलम का कहना है कि उनका परिवार ऊपरी मंजिले पर रहता है। इस वजह से उन्होंने तोड़फोड़ का विरोध किया। लेकिन एडीएम सिटी आलोक कुमार ने मेरी बात सुनने के बजाय मेरे सिर पर मारा और मुझे अपशब्द भी कहा। मेरे मुंह से खून निकलने लगा, पैर में भी चोट लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते पांच दिनों से एडीएम सिटी रोज यहां आ रहे हैं, कल मीटिंग भी हुई और उन्होंने मुझसे रुपए की मांग की, नहीं देने पर गुस्सा गए।

वीडीए पर भी उठे सवाल

एक तरफ वीडीए ने होटल पर कार्रवाई की तो दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि आखिर पहले वीडीए की टीम कहा थी। बिना वीडीए के अधिकारियों व कर्मचारियों के मिलीभगत के इतना बड़ा होटल बनकर एकाएक तो तैयार नहीं हो गया। दोनों होटल को बनने में काफी समय लगा है। इस बीच वीडीए की टीम ने आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की।